



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1771]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 31, 2013/श्रावण 9, 1935

No. 1771]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 31, 2013/SRAVANA 9, 1935

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2013

का.आ. 2323(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग), की अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 4 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“4.	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2सी, सं. 19 [किमी 143.200 से किमी 207.200 (छपरा-हाजीपुर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28 [(किमी 365.570 से किमी 627.000 (मुजफ्फरपुर-पिपराकोठी से गोपालगंज-उत्तर प्रदेश/बिहार सीमा और मुजफ्फरपुर से बरौनी) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 28बी, सं. 30 [(किमी 181.300 से किमी 117.000 (पटना-बक्सर) और किमी 181.300 से किमी 231.950 (पटना-बख्तियारपुर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 30ए, सं. 31 [किमी	बिहार राज्य सरकार” ।
-----	---	----------------------

153.300 से किमी 447.000 (खगड़िया-बख्तियारपुर-पूर्णिया) और किमी 470.000 से किमी 476.150 (पूर्णिया से गैरकट्टा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 77 [(किमी 0.000(रामाशीष चौक) से किमी 89.000 (हांजीपुर-मुजफ्फरपुर-सोनबरसा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 80, [किमी 1.430 से किमी 70.000 (मोकामा-मुंगेर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 81, रारा सं. 82, रारा सं. 83, रारा सं. 84 [(किमी 0.000 से किमी 75.000 (पटना-बक्सर) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 85 [(किमी 0.000 से किमी 94.700 (गोपालगंज-छपरा) तक खंड को छोड़कर], रारा सं. 98, रारा सं. 99, रारा सं. 101, रारा सं. 102, रारा सं. 103, रारा सं. 104, रारा सं. 105, रारा सं. 106, रारा सं. 107, रारा सं. 110 और राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 333 [रारा-33 (नई सं.) बरियारपुर से प्रारंभ होकर खड़गपुर, लक्ष्मीपुर, जमुई चकई को जोड़ने वाला राजमार्ग], राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 327 विस्तार रारा सं-327 (नई सं.) गलगलिया से प्रारंभ होने वाला (पश्चिम बंगाल/बिहार) ठाकुरगंज, बहादुरगंज, अररिया, रानीगंज, भरगामा, त्रिवेणीगंज, पिपरा, सुपौल को जोड़ने वाला और (भरियाही बाजार) रारा-231 के बनगांव पर समाप्त होने वाला राजमार्ग]], राष्ट्रीय राजमार्ग नई सं. 131ए [(रारा-31 (नई सं.) पर कटिहार से प्रारंभ होने वाला राजमार्ग) और रारा-27 (नई सं.) पर पूर्णिया पर समाप्त होने वाला राजमार्ग]], नई रारा सं. 122ए, नई रारा सं. 133 और नई रारा सं. 327ए के उतने भाग जो बिहार राज्य में अवस्थित हैं ।

[फा. सं. एनएच-14013/17/2013-पीएंडएम]

माया प्रकाश, उप-सचिव

टिप्पण:—मूल अधिसूचना सं. का.आ. 1096 (अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार सं. का.आ. 1534 (अ), 14 जून, 2013 द्वारा संशोधित किया गया था ।

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2013

**S.O. 2323(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005, namely:-

In the Schedule to said notification, for serial number 4 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

“4	So much of National Highways No.2C, No. 19[excluding from Km.143.200 to Km.207.200 (Chhapara-Hajipur)], No.28 [excluding from Km. 365.570 to Km. 627.000 (from Muzaffarpur-Piprakothi to Gopalganj-Uttar Pradesh/Bihar Border and Muzaffarpur to Barauni)], No. 28B, No. 30[excluding from Km.181.300 to Km.117.000 (Patna-Buxar) and from Km.181.300 to Km.231.950 (Patna-Bakhtiyarpur)], No.30A, No. 31 [excluding from km.153.300 to Km. 447.000(Khagaria-Bakhtiyarpur-Purnea) and Km. 470.000 to Km. 476.150 (Purnea to Goyerkata)], No.77 [excluding from km.0.000 (Ramashish Chowk) to km. 89.000 (from Hajipur-Muzaffarpur-Sonbarsa)], No. 80 [excluding from km.1.430 to km.70.000 (Mokama-Munger), No.81, No.82, No.83, No.84[excluding from Km.0.000 to 75.000 (Patna-Buxar)], No.85[excluding from km.0.000 to km.94.700(from Gopalganj-Chhapra)], No.98, No. 99, No.101, No.102, No.103, NO.104, No.105, No.106, No.107, No.110, new National Highway number 333 [the highway starting from Bariyarpur on NH-33 (new number) connecting Kharagpur, Laxmipur, Jamui, Chakai], new National Highway number 327 Extension [the highway starting from Galgalia on NH-327 (new number) (West Bengal/Bihar) connecting Thakurganj, Bahadurganj, Araria, Raniganj, Bhargama, Tribeniganj, Pipra, Supaul and terminating at (Bariyahi Bazar) Bangaon on NH-231 (new number)], new National Highway number 131 A [the highway starting from Katihar on NH-31 (new number) and terminating at Purnea on NH-27 (new number)], new NH No. 122A, new NH No. 133 and new NH No. 327A as are situated within the State of Bihar.	State Government of Bihar”.
----	---	-----------------------------

[F.No.NH-14013/17/2013-P&M]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Note:** The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4<sup>th</sup> August, 2005 and last amended vide number S.O. 1534 (E), dated the 14<sup>th</sup> June, 2013.